अतरसिंह भड़ाना हत्याकांड : करीब 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 65 नामजद

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की

- नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए 25 से 30 पुलिस टीमों का गठन, अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है
- अतर सिंह भड़ाना और ग्रामीणों के बीच वर्षों से लीज को लेकर विवाद चल रहा था, ग्रामीण लीज संचालन का विरोध कर रहे थे : आईजी प्रीति चंद्रा

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर जिले के भौंडा गांव में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता अतरसिंह भड़ाना की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।

भरतपुर रेंज आईजी प्रीति चंद्रा के अनुसार, मामले में करीब 150 से 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें लगभग 65 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी शिकायत में उल्लेख किया गया है। नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए 25 से 30 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वहीं, मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से चार भौंडा गांव के निवासी हैं। आईजी प्रीति चंद्रा ने बताया कि अतर सिंह भड़ाना और ग्रामीणों के बीच पिछले कई वर्षों से लीज को लेकर विवाद चल रहा था। ग्रामीण लीज संचालन का विरोध कर रहे थे। इस विवाद के संबंध में पहले भी पुलिस की ओर से पाबंदी की कार्रवाई की गई थी और मुकदमे दर्ज हुए थे। उन्होंने बताया कि जब भी भड़ाना पुलिस को फोन करते थे, पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंचती थी और वहां रुककर निगरानी भी करती थी। आईजी प्रीति चंद्रा ने कहा कि विवाद लंबे समय से चल रहा था, ऐसे में स्थानीय स्तर पर पुलिस को ग्रामीणों के बीच व्याप्त आक्रोश की जानकारी जुटानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़ी घटना की आशंका को लेकर स्थानीय स्तर पर खुफिया सूचना एकत्र करना जरूरी था। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना ने क्या हत्या से पहले सुरक्षा की मांग की थी? इस सवाल पर प्रीति चंद्रा ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि भड़ाना ने सुरक्षा मांगी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लीज विवाद काफी समय से चल रहा था और ग्रामीण इसके संचालन के विरोध में थे।

घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को लेकर आईजी ने बताया कि कैमरों की डीवीआर परिवादी पक्ष अपने साथ ले गया है। पुलिस ने उनसे इस संबंध में जानकारी ली है। परिवादी पक्ष ने डीवीआर उपलब्ध कराने की बात कही है। डीवीआर मिलने के बाद फुटेज की जांच से घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। आईजी ने बताया कि घटना रात के अंधेरे में हुई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल एफआईआर में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा घटना में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे, यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की टीमें नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के बाद पुलिस विभाग ने भी कार्रवाई की है। वैर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एएसपी प्रेरणा शेखावत और भुसावर सीओ नीरज भारद्वाज को एपीओ कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के संबंध में आईजी ने कहा कि लंबे समय से विवाद चलने के बावजूद स्थानीय स्तर पर संभावित तनाव और ग्रामीणों के आक्रोश की जानकारी पुलिस तक प्रभावी ढंग से पहुंचनी चाहिए थी। उन्होंने माना कि इस तरह की घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर आसूचना जुटाने की आवश्यकता थी।

ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाली गैंग का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

गैंग का सरगना हरियाणा के पुन्हाना का रहने वाला है, जो अभी फरार है

अलवर, (निसं)। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दबिश देकर साइबर ठगी गैंग के आरोपी मूल खाताधारक नितेश कुमार (26) पुत्र हेमराज मेघवाल निवासी बीके बिरला इंस्टीट्यूट के पास पिलानी जिला झुंझुनूं व दूसरे आरोपी फर्जी बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगों को बेचने वाला विक्रम सिंह (25) पुत्र फूलचंद सैनी निवासी सिंघाना जिला झुंझुनूं को गिरफ्तार किया है। जबकि गैंग के सरगना हरियाणा के पुन्हाना के रहने वाला है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, म्यूल अकाउंट, सेक्सटोर्शन और फर्जी सिम बेचने वाले गिरोह के खिलाफ विशेष साइबर संग्राम अभियान-3.0 चलाया जा रहा है। इसी के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने 15 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को परिचित बताते हुए कहा आपके पापा को पैसों की सख्त जरूरत है। आपके खाते में 3 हजार रुपए भेज रहा हूं। इसके तुरंत बाद ठग ने दोबारा कॉल कर झूठ बोला कि गलती से 3 हजार की जगह 30 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और 27 हजार रुपए लौटाने की बात कही। बेटी आरोपी के झांसे में आ गई। इसके बाद ठग ने उसे अपनी बातों में उलझाकर टुकड़ों में कुल 91 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

एसपी ने बताया कि डीएसपी साइबर क्राइम वीरेंद्र सिंह भाटी के सुपरविजन में गठित टीम ने बैंक खातों की डिटेल खंगाली। तकनीकी अनुसंधान और साइबर सर्विलांस की मदद से संदिग्धों को चिह्नित कर दोनों पकड़ लिया। साइबर ठगी करने वाले गैंग के तार झुंझुनूं और हरियाणा के पुन्हाना से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। आरोपी विक्रम सैनी चिड़ावा (झुंझुनूं) में ढाबा चलाता है। हरियाणा के पुन्हाना निवासी दो युवकों ने उसके ढाबे पर करीब 8-10 दिन लगातार खाना खाया और उससे जान-पहचान बढ़ा ली। ठगों ने ढाबा संचालक विक्रम को झूठ बोला कि वे यहां काम करने आए हैं और उनका बैंक खाता ब्लॉक हो गया है। उन्होंने 10 हजार रुपए देने का लालच देकर कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बैंक खाता किराए पर चाहिए। लालच में आकर ढाबा संचालक ने आरोपी नितेश मेघवाल के नाम से बैंक में खाता खुलवा दिया। इस म्यूल अकाउंट का एटीएम कार्ड और पासबुक पुन्हाना के ठगों को सौंप दिए गए। इसके बाद साइबर ठगों ने पीड़ित युवती से हड़पे गए 91 हजार रुपए इसी किराए के खाते में ट्रांसफर करवाए और रकम निकालकर फरार हो गए।

घर के बाहर बैठी महिला को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत

सीकर, (निसं)। घर के बाहर बैठी महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का चार साल का पोता और नौ महीने की पोती भी वहीं बैठे थे। उनको हल्की चोट आई है।

घटना उद्योग नगर थाना इलाके में पिपराली चौराहे के पास धन्वंतरि हॉस्पिटल के नजदीक मंगलवार रात करीब आठ बजे की है। टक्कर से घर की दीवार भी टूट गई। घटना के बाद ड्राइवर पिपराली चौराहे के पास ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। बुधवार सुबह परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर करीब दो घंटे तक धरना दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार पिपराली चौराहे के पास रहने वाली बानो (45) पत्नी जब्बार मंगलवार रात पोते कबीर और पोती गुड़िया के साथ घर के बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में एक ट्रैक्टर बानो की तरफ आया और टक्कर मारते हुए दीवार तोड़ दी। परिजन बानो को एसके हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कबीर और गुड़िया को हल्की चोट आई है। परिजन बुधवार सुबह हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

जमीन हड़पने के मामले में जैसलमेर से गिरफ्तार आरोपी की जोधपुर में मौत

- मंगलवार को आरोपी की रिमाण्ड अवधि में तबीयत बिगड़ने के बाद जैसलमेर से जोधपुर रैफर किया था, बुधवार सुबह आरोपी की जोधपुर में उपचार के बीच मौत हो गई, शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया

जोधपुर, (कासं)। जैसलमेर जिला पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया। मंगलवार को उसकी रिमाण्ड अवधि में तबीयत बिगड़ने के बाद जैसलमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जोधपुर रैफर कर दिया गया। बुधवार सुबह उसकी यहां जोधपुर में उपचार के बीच मौत हो गई। फिलहाल शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस की तरफ से अग्रिम अनुसंधान जारी है।

आरंभिक पड़ताल में मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी नरेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसलमेर जिले के शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई के अनुसार कोतवाली थाने में नरेश कुमार के खिलाफ 7 जुलाई को मामला दर्ज हुआ था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर पोंग बांध विस्थापित को आवंटित की गई कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने 12 अक्टूबर को नरेश कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को उसे अदालत में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने आरोपी का पुलिस रिमांड मंजूर किया था। पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात करीब 8.15 बजे पूछताछ के समय नरेश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसने सीने और पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की। स्थिति गंभीर होने पर पुलिसकर्मी उसे तुरंत राजकीय जवाहिर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे 108 एंबुलेंस से जोधपुर रैफर कर दिया। नरेश कुमार का जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार की सुबह करीब 5.45 बजे इलाज के बीच उसकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से अब अग्रिम जांच की जा रही है।

भोपालगढ़ में पिकअप की टक्कर से युवक की मौत

जोधपुर, (कासं)। जिले के ग्रामीण क्षेत्र भोपालगढ़ में बुधवार की सुबह पिकअप चालक की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हो गई है और शव को भोपालगढ़ चिकित्सालय में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार रजलानी भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर पुत्र झूमराम को किसी पिकअप के चालक ने पैदल जाते समय अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रामकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर भोपालगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262,
Email:- ceoudr.lsg@rajasthan.gov.in electricalumc50@gmail.com Website :- https://udaipurmc.org/
क्रमांक :–ननिउ/ विद्युत/2026–27/562 दिनांक :– 10.10.26
ई-बोली आमन्त्रण सूचना संख्या – ई 11/2026-27
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विद्युत शाखा से सम्बंधित विभिन्न विकास कार्य जिसकी कुल अनुमानित लागत राशि 78.01 लाख हेतु ई–प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन निविदा दिनांक 20.10.26 समय सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
UBN No UNP2627GLOB00113 आयुक्त
राज.संवाद/सी/26/11832 नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल नवलगढ़, झुन्झुनू (राज.)
क्रमांक :न.पा.न./2026–27/4114 दिनांक : 12.10.2026
ई-निविदा सूचना 03/2026-27
नगरपालिका नवलगढ़ की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए सील बंद निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा website www.sppp.raj.gov.in से download कर देखी/प्राप्त की जा सकती हैं। RTPP एक्ट की शर्ते मान्य होंगी एवं अन्य शर्ते कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं।
जिसके Nib Code व UBN Number निम्न प्रकार हैं।

Sr. No.	NIB Code	UBN No.
1	DLB2627A8569	DLB2627GLOB21970

राज.संवाद/सी/26/11865 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर
क्रमांक :– नपपु/विकास/2026/2857 दिनांक:– 06.10.2026
:: ई-निविदा सूचना ::
नगर परिषद पुष्कर की ओर से राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	51.68 लाख
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	06.10.2026 TO 16.10.2026 समय 6 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	21.10.2026 समय प्रातः 11 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	21.10.2026 समय सांय 4 बजे तक

विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं नगर पालिका के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।
Nib Code :-

S.No.	UBN No.
1	DLB2627SLOB21200

राज.संवाद/सी/26/11797 आयुक्त, नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर
क्रमांक :– नपपु/विकास/2026/2859 दिनांक:– 06.10.2026
:: ई-निविदा सूचना ::
नगर परिषद पुष्कर की ओर से राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यो की कुल लागत	51.68 लाख
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	06.10.2026 TO 16.10.2026 समय 6 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	21.10.2026 समय प्रातः 11 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	21.10.2026 समय सांय 4 बजे तक

विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर एवं नगर पालिका के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।
Nib Code :-

S.No.	UBN No.
1	DLB2627SLOB21206

राज.संवाद/सी/26/11799 आयुक्त, नगर परिषद पुष्कर

खुद को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बताकर कारोबारी से 24 लाख रुपए ठगे

पुलिस ने फरार शातिर अंतर्राज्यीय ठग दंपती को गिरफ्तार किया

- आरोपी देश के कई राज्यों में इसी तरह की ठगी के मामलों में लिप्त रहे हैं
- पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और ठगी गई रकम की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है
- आरापी दम्पती को यूपी के सीतापुर जेल से गिरफ्तार कर बीकानेर लाया गया

बीकानेर, (निसं)। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने खुद को नाल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बताकर बीकानेर के एक कारोबारी परिवार से पारिवारिक रिश्ते कायम करने और फिर 24 लाख रुपये की ठगी कर फरार होने वाले शातिर अंतर्राज्यीय ठग दंपती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी रोहित बाजपेयी (44) और उसकी पत्नी अन्नू बाजपेयी (44) निवासी मकरंद नगर, कन्नौज को यूपी की सीतापुर जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी देश के कई राज्यों में इसी तरह की ठगी के मामलों में लिप्त रहे हैं।

एसएचओ देवेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि जेएनवीसी थाना क्षेत्र स्थित मरुधर कॉलोनी, जयपुर रोड निवासी नवीन कुमार चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था। परिवादी की जयपुर रोड पर जेबीएफ डेकोर नाम से दुकान है। दिसंबर, 24 में रोहित बाजपेयी ग्राहक बनकर दुकान पर आया और खुद को नाल एयरपोर्ट का एटीसी अधिकारी बताया। बड़ा खर्च और उदारता दिखाकर उसने स्टाफ और कारोबारी का भरोसा जीता। इसके बाद आरोपी ने करणी नगर में किराए का मकान लिया और कारोबारी परिवार को सामाजिक आयोजनों, रिसॉर्ट पार्टियों और पारिवारिक समारोहों में आमंत्रित कर घनिष्ठता बढ़ा ली। सहानुभूति और विश्वास हासिल करने के बाद आरोपियों ने कारोबारी की पत्नी को बहन बनाकर भावनात्मक जाल बिछाया।

पहले छोटे-मोटे लेनदेन कर समय पर ब्याज सहित पैसे लौटाकर पूरा विश्वास जमाया। इसके बाद 26 मार्च, 25 को संपत्ति खरीद की डील अटकने और 50 लाख का फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाकर 20 लाख रुपये नकद और करीब 4 लाख रुपये के आभूषण ले लिए। रकम हाथ लगते ही 27 मार्च को आरोपी अपना मोबाइल बंद कर और किराए का मकान खाली कर रातों-रात फरार हो गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी सीतापुर (यूपी) कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में वहां की जेल में बंद हैं। जांच अधिकारी एएसआई जयप्रकाश मय जाब्ता सीतापुर कारागार पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को गिरफ्तार कर बीकानेर लाए हैं। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों और ठगी गई रकम की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है।

अजमेर में सूने मकान से पांच लाख का माल पार

- परिवार 18 दिन तक घर से बाहर था, लौटने पर चोरी की वारदात खुली, 50 हजार की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए चोर

अजमेर, (निसं)। अजमेर में सूने मकानों को निशाना बनाने वाले चोरों के हौसले बुलंद हैं। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के विकासपुरी, शांतिपुरा में चोरों ने एक बंद मकान में सेंध लगाकर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण सहित करीब 5 लाख रुपये का माल चोरी कर लिया। परिवार के घर लौटने पर वारदात का पता चला। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, विकासपुरी, शांतिपुरा निवासी शैलेंद्र कुमार धूत 25 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए हुए थे। 12 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे जब वे घर लौटे तो मकान में चोरी होने का पता चला। चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। परिवादी के अनुसार, चोर मकान से 50 हजार रुपये नकद, सोने का हार, कानों की बालियां और सोने की दो कड़ियां ले गए। इसके अलावा चांदी की दो मूर्तियां, चांदी के चम्मच-कटोरी के पांच सेट और चांदी की दो पायल भी चोरी हो गईं। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है। वारदात की सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में सुराग जुटा कर चोरी की वारदात का खुलासा करने के प्रयास में जुटी है।

चलती बस से नीचे गिरने से युवक की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के करवड़ थाना क्षेत्र में आईआईटी गेट नंबर-2 के पास चलती बस से नीचे गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बीकानेर निवासी कृष्णा पी. माधवानी के रूप में हुई है। इस संबंध में मृतक के पिता पुरुषोत्तम माधवानी की रिपोर्ट पर करवड़ थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

करवड़ थाने के हैडकांस्टेबल बनवारीलाल ने बताया कि पुरुषोत्तम माधवानी अपने पुत्र कृष्णा के साथ रात एक निजी बस में बीकानेर से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए थे। रात में करवड़ क्षेत्र में आईआईटी गेट नंबर-2 के पास कृष्णा बस में बने शौचालय की ओर गया था। शौचालय से लौटते समय बस का मुख्य गेट खुला होने के कारण वह चलती बस से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के पिता ने रिपोर्ट में बस चालक पर तेज गति और लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल करवड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गोदाम में घुसकर हमला, सामान में तोड़फोड़ की

सुजानगढ़, (निसं)। शहर के जमालपुरा रोड पर तगाला मस्जिद के पास स्थित एक गोदाम में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने और सामान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जावेद पुत्र सलीम पडिहार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, घटना 14 अक्टूबर को सुबह करीब 11:30 बजे की है। परिवादी ने बताया कि वह अपने पिता सलीम, माता जरीना तथा अन्य परिजनों के साथ गोदाम में मौजूद था। इसी दौरान उसके काका नौसाद व सराज भी वहां काम के सिलसिले में आए हुए थे। तभी इरफान माल देखने के लिए आया हुआ था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नदीम, मुख्तार, नौसाद और जावेद सहित कुछ लोग एकराय होकर लाठी-डंडों से लैस होकर गोदाम में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। परिवादी का आरोप है कि हमलावरों ने उसके और उसके पिता के साथ मारपीट की तथा गोदाम में रखे सामान को अस्त-व्यस्त कर नुकसान पहुंचाया।

अलवर में पति-पत्नी ने परिचित के साथ एक करोड़ की धोखाधड़ी की

- क्रेडिट कार्ड यूज लेने पर एक प्रतिशत मुनाफे का झांसा दिया, व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत बताई
- न्यायालय के निर्देश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

अलवर, (निसं)। अलवर में परिचितों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बाद भुगतान बंद करने का मामला सामने आया है। कालाकुआं निवासी परिवादी ने आरोपी हेमंत गुप्ता और उसकी पत्नी श्वेता खंडेलवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का कोर्ट में परिवाद पेश किया है। अब अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिवाद के अनुसार, हेमंत ने व्यवसाय के लिए पैसों की जरूरत बताकर परिचितों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए लिए थे। शुरुआत में वह समय पर भुगतान करता रहा, लेकिन जुलाई 2026 से भुगतान बंद कर दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि क्रेडिट कार्ड से करीब 92.19 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा पत्नी के इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए भी बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए गए। न्यायालय के निर्देश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि हेमंत गुप्ता से उसकी पुरानी जान-पहचान थी। दोनों के बीच विश्वास के संबंध थे। वर्ष 2020 में हेमंत ने अपने व्यवसाय के लिए कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत बताते हुए परिवादी और उसकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मांगे थे। उसने कार्ड से खर्च की गई राशि समय पर चुकाने और इसके बदले 1 प्रतिशत लाभ देने की बात कही थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, शुरुआत में हेमंत क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान समय पर करता रहा। इससे उसका विश्वास बढ़ गया। बाद में हेमंत ने परिवादी से उसके दोस्तों, परिवार के सदस्यों और स्टाफ के लोगों के क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल के लिए दिलवाने को कहा। इसके बाद कई लोगों के क्रेडिट कार्ड उसे इस्तेमाल करने के लिए दिए गए। परिवाद में क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल की गई राशि का अलग-अलग विवरण दिया गया है। इसके अनुसार, परिवादी के 27 क्रेडिट कार्ड से करीब 33.03 लाख रुपए, उसकी पत्नी के चार कार्ड से करीब 3.85 लाख रुपए और दूसरे दोस्त के 13 कार्ड से करीब 33.65 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। इसी तरह एक दोस्त के छह क्रेडिट कार्ड से करीब 6.71 लाख रुपए और परिवार के सदस्यों व स्टाफ के लोगों के कार्ड से करीब 14.93 लाख रुपए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।

परिवाद में इन सभी कार्ड से इस्तेमाल की गई कुल राशि करीब 92.19 लाख रुपए बताई गई है। परिवादी ने आरोप लगाया कि हेमंत ने अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज कराने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत बताई थी। इस पर उसने ऑनलाइन माध्यम से हेमंत के बैंक खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल की गई राशि और बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए रुपयों को मिलाकर कुल 1.02 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ।

परिवाद के अनुसार, जुलाई 2026 से हेमंत ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करना बंद कर दिया। इसके बाद परिवादी और उसके परिचितों को बैंकों की ओर से बकाया राशि चुकाने के लिए कहा जाने लगा। परिवादी ने दावा किया कि उसे बैंकों की बकाया न्यूनतम राशि के रूप में करीब 5 लाख रुपए भी जमा कराने पड़े। परिवादी का आरोप है कि जब उसने हेमंत से रकम वापस मांगी तो वह पहले टालमटोल करता रहा। बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, हेमंत के कई मोबाइल नंबर बंद आने लगे। उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर भी बंद मिला। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि हेमंत अपने परिवार के साथ घर से फरार हो गया है। फिलहाल अरावली विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है।

जोधपुर में फर्जी नंबर प्लेट लगी बस जब्त

जोधपुर, (कासं)। शहर की सड़कों पर दौड़ती सिटी बसें फर्जी तरीके से भी चल रही है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सिटी बसों का संचालन भी हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पुलिया पर एक सिटीबस का संचालन जुलाई माह से फर्जी तरीके हो रहा था। इसका खुलासा 10 अक्टूबर को उसके पकड़े जाने पर हुआ। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस सिटीबस का परिचालन किया जा रहा था। घटना को लेकर देवनगर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। अज्ञात शख्स के बारे में अब पुलिस जांच कर रही है।

देवनगर पुलिस के अनुसार सुजान चारण की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य में प्रथम पुलिया देवनगर में एक सिटी बस का संचालन हो रहा था। इस सिटी बस की नंबर प्लेट फर्जी तरीके से यूज ली जा रही थी। इस पर पुलिस के सहयोग से सिटी बस को सीज करने की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया पुलिस ने सिटी बस पर लगी नंबर प्लेट को अवैध माना। प्रकरण में द्व जांच एएसआई जगराम की तरफ से जा रही है।

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर
Tel.No. 1462-258665, 257509 Email Add: npbeawar@gmail.com
क्रमांक/रोशनी/2026–27/9173 दिनांक:–07.10.2026
ई-निविदा सूचना 01/2026-27
निम्नांकित रोशनी सम्बन्धी कार्य करवाया जाने हेतु EWSD श्रेणी 1 के पंजीकृत ठेकेदारों से E-Procurement पर दिनांक 21.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक ई–निविदायें आमंत्रित है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	प्रासेसिंग फीस	निविदा शुल्क
1	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर मिनी हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य	30.24	60496	500	1000
2	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर नई स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य	50.00	100000	500	1000
3	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर पोलो पर रोप लाईट (तिरंगा लाईट) लगाने का कार्य	15.00	30000	500	1000
4	नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र कें विभिन्न स्थानों पर लगी समस्थ स्ट्रीट लाईट का राख–रखाव कार्य	68.40	136800	1500	1000

ई–निविदा से संबंधित विस्तृत शर्ते ई–निविदा फार्म के साथ संलग्न है। यह फर्म E Procurement एवं WWW.Sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
जिसका NIB code DLB2627A8574 है एवं UBN नम्बर निम्नानुसार है:–
1. DLB2627 SLOB21975
2. DLB2627 SLOB21977
3. DLB2627 SLOB21979
4. DLB2627 SLOB21980

आयुक्त
राज.संवाद/सी/26/11914 नगर परिषद्, ब्यावर